

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर, सीकर
पीठासीन अधिकारी - बृजेश कुमार (आर.ए.एस.)

वाद संख्या 140/2018

1. मालीराम पुत्र प्रभातीलाल
2. सरदारा पुत्र प्रभातीलाल
3. रामचन्द्र पुत्र प्रभातीलाल

जाति जाट निवासी ग्राम अजीतगढ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज.)

- वादीगण

बनाम

1. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज.)

- प्रतिवादी

दावा बाबत घोषणा दुरुस्ती रिकॉर्ड

उपस्थित - 1. श्री अभिषेक कुमावत वकील वादीगण

निर्णय

दिनांक - 28.12.20

संक्षेप में वाद वादीगण इस प्रकार है कि कृषि भूमि पुराने खसरा नंबर 719, 720, 720 मिन, 717, 718, 717 मिन, 1143 स्थित तन ग्राम अजीतगढ तहसील श्रीमाधोपुर जिसके वर्तमान खसरा नंबर 1522, 1523, 1524, 1543, 1561, 1562 कुल कित्ता 6 कुल रकबा 2.16 है. तन ग्राम अजीतगढ तहसील श्रीमाधोपुर अवस्थित है जिसके वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रत्येक वादी का हिस्सा 2/15 दर्ज है। उक्त भूमि वादीगण ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय लेख दिनांक 02.02.1982 खातेदार गोर्धनलाल पुत्र स्व० कल्याणप्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी अजीतगढ से खरीद की गयी तथा विक्रय लेख के आधार पर नामान्तरकरण सं० 612 राजस्व अभियान दिनांक 21.1.83 को खाता गोर्धनलाल पुत्र स्व० कल्याणप्रसाद के एचज में मालीराम,



सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

सारदारा, व रामचन्द्र पि० प्रभातीलाल हि. बराबर हि. 2/5 जमाबन्दी संवत 2031 से 2034 में वादीगण के नाम दर्ज किया गया परन्तु राजस्व कर्मचारियों की मूलवश वादीगण की जाति जाट वादीगण के नाम दर्ज नहीं की गयी तथा वर्तमान राजस्व रिकार्ड में गलत रूप से वादीगण की जाति ब्राह्मण अंकित कर दी गयी जो अन्य खातेदारों की जाति ब्राह्मण होने से दर्ज कर दी गयी जबकि वादीगण की जाति जाट है तथा वादीगण के हक में करवाये गये रजिस्टर्ड विक्रय लेख में वादीगण की जाति जाट अंकित है। वादीगण के अन्य ससस्त दस्तावेज एवं प्रमाण पत्र सरपंच अजीतगढ में वादीगण की जाति जाट अंकित है। राज्य सरकार से मिलने वाली सुविधाओं एवं अन्य सुविधाओं में परेशानी होने तथा प्रतिवादी को जाति दुरुस्ती हेतु निवेदन करने पर न्यायालय से वाद दायर कर आदेश लाने हेतु कहने पर वाद अन्दर न्यायालय क्षेत्र पैदा हुआ है। अतः वाद वादीगण डिक्री फरमाया जाकर वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण की जाति ब्राह्मण के स्थान पर जाट दुरुस्त किया जावे एवं उक्तानुसार दुरुस्ती हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश प्रदान किया जावे।

वादी का वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी बावजूद सम्यक तामील अनुपस्थित रहने स प्रतिवादी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

बहस वकील वादी सुनी गयी। बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि :-

- 1- वादग्रस्त आराजी के वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीगण की जाति ब्राह्मण अंकित रिकॉर्ड है।
- 2- वादीगण ने वादग्रस्त आराजी जरिये रजिस्टर्ड विक्रय लेख दिनांक 02.02.1982 क्य की है जिसमें वादीगण की जाति जाट अंकित है।
- 3- रजिस्टर्ड विक्रय लेख दिनांक 02.02.1982 के नामान्तरकरण से जमाबन्दी संवत 2031 से 2034 में वादीगण की जाति दर्ज नहीं की गयी।
- 4- प्रमाण पत्र सरपंच अजीतगढ अनुसार वादीगण की जाति जाट है।
- 5- वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड, भामाशाह कार्ड, बैंक पास बुक आदि में वादीगण की जाति जाट है।



12
सहायक कलेक्टर (फास्ट टेक)
श्रीमाधोपुर (श्रीकल)


इस प्रकार प्रस्तुत रिकॉर्ड, दस्तावेजात से वाद वादी बाबत घोषणा एवं रिकॉर्ड दुरुस्ती साबित होने से स्वीकार किया जाना उचित है।

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर दावा वादी डिक्री किया जाता है तथा राजस्व ग्राम अजीतगढ पटवार हल्का अजीतगढ स्थित भूमि वर्तमान खसरा नंबर 1522, 1523, 1524, 1543, 1561, 1562 कुल किता 6 कुल रकबा 2.16 है. में वादीगण मालीराम, सरदारा, व रामचन्द्र पि० प्रभातीलाल की जाति ब्राह्मण के स्थान पर जाट दुरुस्त किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं। शेष इन्द्राजात बदस्तूर रहे। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु पर्चा डिक्री मुतीब हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।




(बृजेश कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
सोनपटन (सीकर)